

II/विम०/रीवा/2018/0/007

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा ॥म०प्र०॥



सुरेशामणि तनय श्यामलाल पटेल निवासी ग्राम जुडमनिया, तहसील नईगढी

जिला रीवा ॥म०प्र०॥

रकुनाथ  
--- निगरानी कर्ता

बनाम

1. नन्द लाल तनय शृद्धि कटार
2. जय लाल तनय शृद्धि कटार
3. हीरा लाल तनय शृद्धि कटार
4. ज्ञाननाथ तनय गुलउ कोल
5. रामखोवाचन तनय मुसऊ कोल
6. अरुण कुमार तनय मुसऊ कोल
7. रोहणी प्रसाद तनय राम लाल कोल
8. नन्कू तनय राम लाल कोल

सभी निवासी ग्राम माच तहसील मऊांज जिला रीवा ॥म०प्र०॥

-----गैर निगरानी कर्ता गण

अधिवक्ता श्री रावेड सिंह

बाराक/8-2-18

M

कलकत्ता आफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर  
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विश्व न्यायालय अपर कलेक्टर मऊांज जिला  
रीवा ॥म०प्र०॥ प्रकरण क्रमांक 41/निगरानी/अ-5/2013-14  
आदेशा दिनांक 29-11-2017.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता  
सन् 1959 ई० ।

मान्यवर,


(249)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/रीवा/भू-रा0/2018/1007

जिला रीवा

सुरेशमणि पटेल/ नन्दलाल कहार वगैरः

(1)	(2)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री रावेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर मउगंज, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 41/ निगरानी/अ-5/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 29.11.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20.02.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>